

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा
नरगिस बनाम सलीम खां उर्फ बबली

परिवाद सं०-64/16
धारा-406 भा०दं०सं०
थाना-ठाकुरद्वारा,

10.10.2018

अभियुक्ता सादिया बेगम की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र परिवाद सं०-64/16 धारा-406 भा०दं०सं० थाना-ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद में प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्ता का कथन है कि उन्हें उपरोक्त मुकदमे में रंजिश की बिना पर झूठा फंसाया गया है। अभियुक्ता निर्दोष है प्रार्थिनी ने ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

अभियुक्ता स्वेच्छया आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में हैं। आवेदकगण के सम्बन्ध में जमानत प्रार्थनापत्र अन्तिम निस्तारण से पूर्व प्रश्नगत मामला मध्यस्तता एवं सुलह समझौता केन्द्र में प्रेषित किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रश्नगत मामला मध्यस्तता एवं सुलह समझौता केन्द्र मुरादाबाद प्रेषित किया जावे। मध्यस्तता एवं सुलह समझौता केन्द्र की आख्या न्यायालय में दिनांक 30.10.2018 के पूर्व दाखिल हो। आवेदक के समस्त प्रपत्र जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई हेतु दिनांक 02.11.2018 को प्रस्तुत हो। तब तक अभियुक्त को पच्चीस-पच्चीस हजार रू० के दो प्रतिभू एवं समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर अन्तरिम जमानत पर रिहा किया जाता है। पत्रावली अविलम्ब मध्यस्तता एवं सुलह समझौता केन्द्र मुरादाबाद प्रेषित की जाए।

अभियुक्ता उपरोक्त दिनांक 20.10.2018 को मध्यस्तता एवं सुलह समझौता केन्द्र में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो। वादनी मुकदमा सूचित हो। पत्रावली वास्ते नियमित सुनवाई दिनांक 02.11.2018 को पेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
ठाकुरद्वारा

